झारखण्ड सरकार
कार्यालयः- वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।
वन भवन-1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)
E-mail: dfo-hazaribagheast@gov.in; Telefax No. 06546-272461

पत्रांक : 1980 दिनांक : 24/6/19

सेवा में,

वरीय प्रबंधक,
संचरण प्रमण्डल,
सिंगारी कॉम्पलेक्स प्रथम तल कनहरी हिल रोड,
मॉंट फोर्ट विद्यालय के निकट, हजारीबाग।

**विषय :-** जिला हजारीबाग अंतर्गत प्रखण्ड विष्णुगढ़, ग्राम- नावाडीह में प्रस्तावित 132/33 के0वी0 ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु 4.048 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

**प्रसंग :-** विशेष कार्य पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या- वनभूमि-19/2019-2105 व0प0 दिनांक 13.06.19 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची का ज्ञापांक 676 दिनांक 18.06.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयोक्त प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0- 11-09/98-FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 16.06.2011, एवं पत्र संख्या- 11-09/1998-FC(LWE) दिनांक 15.02.18 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति के उपरांत विशेष कार्य पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या- वनभूमि-19/2019-2105 व0प0 दिनांक 13.06.19 द्वारा 13 शर्तो के साथ प्रदान की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

लगाये गये शर्तो की शर्तवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट की जाती हैः-

| क्र.सं. | शर्त | अनुपालन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (क) | वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (ख) | प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(C) 202/1995 में दिनांक- 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.048 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी। | इस शर्त के अनुपालन हेतु अपयोजित होने वाले वनभूमि रकवा- 4.048 हे0 के लिए 626000/- प्रति हे0 की दर से कुल 2534048.00 (पच्चीस लाख चौतीस हजार अड़तालीस) रूपयें एन0पी0भी0 मद में झारखण्ड के कैम्पा खाता में e-portal पर ऑनलाईन चालान जेनरेट कराते हुए चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय। |

\\Dfo-hp\AJIT\AJIT\FC Act\POWER GRID\132_33KV Grid Sub Station NAWADIH\LTR TO SR. MANAGER TRNS DIVN. HZB.doc1

Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | | इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1717 दिनांक 08.06.19 द्वारा राशि तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है।<br>**नोटः– आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाए।** |
| (ग) | यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (घ) | प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (ङ) | प्रस्तावति वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 59 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकीर से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (च) | ग्रिड से जो तार बाहर खींचे जाये, उनमे से सबसे निचले तार की जमीन से उंचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (छ) | ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (ज) | भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (झ) | वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (ञ) | यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |



Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | जा सके। | |
| (ट) | परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठिकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (ठ) | अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |
| (ड) | उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। | इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। |

***<u>अनुलग्नकः- यथोक्त</u>***

विश्वासभाजन

21/6/17

**वन प्रमण्डल पदाधिकारी,**

**हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल।**

20.6.17 21/6/2016



Scanned by CamScanner